तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17.5.22	पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके अभिभाषक को न्यायालय समय तक बार-बार आवाज दिलवाई गई इसके उपरान्त भी कोई उपस्थित नही हुआ। इससे ऐसा प्रतित होता है कि वादीगण अपने वाद के प्रति गंभीर नही है एवं इसे आगे नही चलाना चाहते है। अत: वाद, वादीगण व उनके अभिभाषक की अनुपस्थित होने से अदम-हाजरी, अदम-पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार, नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (सिरोही)